(2)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या 2022-205 (जीसीएमएस 2022-532)

कानसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति राजपूत
निवासी ग्राम नारवा, तहसील जोधपुर
जिला जोधपुर

अपीलाण्ट...

ब

ना

म

1. गोरखाराम पुत्र हिम्मताराम
2. मोहनराम पुत्र हिम्मताराम के कायममुकाम-
   2.1. सोनाराम पुत्र मोहनराम
   2.2. रूपाराम पुत्र मोहनराम
   2.3. जगदीशराम पुत्र मोहनराम
   2.4. केसाराम पुत्र मोहनराम
   2.5. मूलाराम पुत्र मोहनराम
   2.6. बजरंग पुत्र मोहनराम
   2.7. हीरा पुत्री मोहनराम
   2.8. मंगी पुत्री मोहनराम
3. मालाराम पुत्र पूनमाराम
4. प्रभुराम पुत्र पूनमाराम
5. जसाराम पुत्र सुखाराम
6. ताजाराम पुत्र करनाराम
7. गुमानाराम पुत्र करनाराम
8. पपुराम पुत्र करनाराम
9. ईशाराम पुत्र करनाराम
10. ओमाराम पुत्र करनाराम
11. सवाईराम पुत्र खेताराम
12. भोमाराम पुत्र खेताराम
13. मूली पत्नी खेताराम
14. नारायणराम पुत्र तुलसाराम के कायममुकामान-
    14.1. राजुराम पुत्र नारायणराम
    14.2. दुडाराम पुत्र नारायणराम
    14.3. कुम्भाराम पुत्र नारायणराम
    14.4. पपुदेवी पुत्री नारायणराम
15. बीदाराम पुत्र तुलसाराम
16. लादुराम पुत्र पोकरराम
17. भैराराम पुत्र पोकरराम
18. सिमु पत्नी पोकरराम के कायममुकाम-
    18.1. लादुराम पुत्र पोकरराम
    18.2. भैराराम पुत्र पोकरराम

20.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

18.3. खमली पुत्री पोकरराम
18.4. चुकी पुत्री पोकरराम
18.5. पन्नीदेवी पुत्री पोकरराम
18.6. फुसीदेवी पुत्री पोकरराम
18.7. भीखी पुत्री पोकरराम
18.8. मिरगो पुत्री पोकरराम
19. मालाराम पुत्र किसनाराम
20. खेराजराम पुत्र किसनाराम के कायममुकाम-
20.1. गणपतराम पुत्र खेराजराम
20.2. पपुराम पुत्र खेराजराम
20.3. मूली पत्नी खेराजराम
20.4. रामु उर्फ मीमा पुत्री खेराजराम
21. दीपाराम पुत्र सीमाराम
22. नरसिंगाराम पुत्र सीमाराम
23. बाबुराम पुत्र राणाराम
24. गोरखाराम पुत्र राणाराम के कायममुकाम-
24.1. प्रतापाराम पुत्र गोरखाराम
24.2. जालाराम पुत्र गोरखाराम
24.3. हिराराम पुत्र गोरखाराम
24.4. समु पुत्री गोरखाराम
24.5. हेमी पुत्री गोरखाराम
25. हरिंगाराम पुत्र सिद्धाराम
26. बगताराम पुत्र मंगलाराम
27. भागीरथराम पुत्र रुघनाथराम
28. चौखाराम पुत्र जेठाराम
29. मालाराम पुत्र जेठाराम के कायममुकाम-
29.1. ओमाराम पुत्र मालाराम
29.2. बंशीलाल पुत्र मालाराम
29.3. लुम्बाराम पुत्र मालाराम
29.4. मुकेश पुत्र मालाराम
29.5. भंवरलाल पुत्र मालाराम
29.6. लुणाराम पुत्र मालाराम
29.7. नैनी पुत्री मालाराम
29.8. माडु पत्नी मालाराम
30. धीमाराम पुत्र जेठाराम
31. गिरधारीराम पुत्र मंगलाराम
32. गोमदराम पुत्र मंगलाराम
33. पेमाराम पुत्र मंगलाराम
34. डूँगरराम पुत्र मंगलाराम
35. अचलाराम पुत्र कानाराम के कायममुकाम-
35.1. भोमाराम पुत्र अचलाराम
35.2. मांगीलाल पुत्र अचलाराम
36. कोजाराम पुत्र मूलाराम

20.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

37. किशनाराम पुत्र मूलाराम
38. फुसाराम पुत्र मूलाराम
39. हडमानराम पुत्र मूलाराम
40. सिणगारी पत्नी मूलाराम
41. पुरखाराम पुत्र बिडदाराम के कायममुकाम-
    41.1. लालाराम पुत्र पुरखाराम
    41.2. देवाराम पुत्र पुरखाराम
    41.3. मोहनराम पुत्र पुरखाराम
    41.4. अणची पुत्री पुरखाराम
    41.5. जमना पुत्री पुरखाराम
    41.6. पेपी पुत्री पुरखाराम
    41.7. रामी पुत्री पुरखाराम
    41.8. बरजू पुत्री पुरखाराम
42. राणाराम पुत्र बिडदाराम के कायममुकाम-
    42.1. बाबुराम पुत्र राणाराम
    42.2. गोरखाराम पुत्र राणाराम के कायममुकाम-
        42.2.1. प्रतापाराम पुत्र गोरखाराम
        42.2.2. जालाराम पुत्र गोरखाराम
        42.2.3. हिराराम पुत्र गोरखाराम
        42.2.4. समु पुत्री गोरखाराम
        42.2.5. हेमी पुत्री गोरखाराम
43. जेठाराम पुत्र बिडदाराम के कायममुकाम-
    43.1. हडमानाराम पुत्र जेठाराम के कायममकाम-
        43.1.1. अचलाराम पुत्र हडमानाराम
        43.1.2. मांगीलाल पुत्र हडमानाराम
        43.1.3. अमृतलाल पुत्र हडमानाराम
        43.1.4. चम्पा देवी पत्नी हडमानाराम
        43.1.5. सीता पुत्री हडमानाराम
        43.1.6. शोभा पुत्री हडमानाराम

    सभी जाति जाट, निवासीगण ग्राम मतोडा
    तहसील बापिणी, जिला जोधपुर
44. राजस्थान सरकार
    जरिये तहसीलदार बापिणी
    जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां (वर्तमान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट) दिनांक 24 जून 2019 राजस्व वाद संख्या 233/2013 गोरखाराम व अन्य बनाम

20.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जसाराम इत्यादि

------- 0 -------

(2) अपील संख्या 2022-207 (जीसीएमएस 2022-559)

कानसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति राजपूत
निवासी ग्राम नारवा, तहसील जोधपुर
जिला जोधपुर

अपीलाण्ट...

ब

ना

म

1. गोरखाराम पुत्र हिम्मताराम
2. मोहनराम पुत्र हिम्मताराम के कायममुकाम-
   - 2.1. सोनाराम पुत्र मोहनराम
   - 2.2. रूपाराम पुत्र मोहनराम
   - 2.3. जगदीशराम पुत्र मोहनराम
   - 2.4. केसाराम पुत्र मोहनराम
   - 2.5. मूलाराम पुत्र मोहनराम
   - 2.6. बजरंग पुत्र मोहनराम
   - 2.7. हीरा पुत्री मोहनराम
   - 2.8. मंगी पुत्री मोहनराम
3. मालाराम पुत्र पूनमाराम
4. प्रभुराम पुत्र पूनमाराम
5. जसाराम पुत्र सुखाराम
6. ताजाराम पुत्र करनाराम
7. गुमानाराम पुत्र करनाराम
8. पपुराम पुत्र करनाराम
9. ईशाराम पुत्र करनाराम
10. ओमाराम पुत्र करनाराम
11. सवाईराम पुत्र खेताराम
12. भोमाराम पुत्र खेताराम
13. मूली पत्नी खेताराम
14. नारायणराम पुत्र तुलसाराम के कायममुकामान-
    - 14.1. राजुराम पुत्र नारायणराम
    - 14.2. दुडाराम पुत्र नारायणराम
    - 14.3. कुम्भाराम पुत्र नारायणराम
    - 14.4. पपुदेवी पुत्री नारायणराम
15. बीदाराम पुत्र तुलसाराम
16. लादुराम पुत्र पोकरराम
17. भैराराम पुत्र पोकरराम
18. सिमु पत्नी पोकरराम के कायममुकाम-

20.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

18.1. लादुराम पुत्र पोकरराम
18.2. भैराराम पुत्र पोकरराम
18.3. खमली पुत्री पोकरराम
18.4. चुकी पुत्री पोकरराम
18.5. पन्नीदेवी पुत्री पोकरराम
18.6. फुसीदेवी पुत्री पोकरराम
18.7. भीखी पुत्री पोकरराम
18.8. मिरगो पुत्री पोकरराम
19. मालाराम पुत्र किसनाराम
20. खेराजराम पुत्र किसनाराम के कायममुकाम-
20.1. गणपतराम पुत्र खेराजराम
20.2. पपुराम पुत्र खेराजराम
20.3. मूली पत्नी खेराजराम
20.4. रामु उर्फ मीमा पुत्री खेराजराम
21. दीपाराम पुत्र सीमाराम
22. नरसिंगाराम पुत्र सीमाराम
23. बाबुराम पुत्र राणाराम
24. गोरखाराम पुत्र राणाराम के कायममुकाम-
24.1. प्रतापाराम पुत्र गोरखाराम
24.2. जालाराम पुत्र गोरखाराम
24.3. हिराराम पुत्र गोरखाराम
24.4. समु पुत्री गोरखाराम
24.5. हेमी पुत्री गोरखाराम
25. हरिंगाराम पुत्र सिद्धाराम
26. बगताराम पुत्र मंगलाराम
27. भागीरथराम पुत्र रुघनाथराम
28. चौखाराम पुत्र जेठाराम
29. मालाराम पुत्र जेठाराम के कायममुकाम-
29.1. ओमाराम पुत्र मालाराम
29.2. बंशीलाल पुत्र मालाराम
29.3. लुम्बाराम पुत्र मालाराम
29.4. मुकेश पुत्र मालाराम
29.5. भंवरलाल पुत्र मालाराम
29.6. लुणाराम पुत्र मालाराम
29.7. नैनी पुत्री मालाराम
29.8. माडु पत्नी मालाराम
30. धीमाराम पुत्र जेठाराम
31. गिरधारीराम पुत्र मंगलाराम
32. गोमदराम पुत्र मंगलाराम
33. पेमाराम पुत्र मंगलाराम
34. डूँगरराम पुत्र मंगलाराम
35. अचलाराम पुत्र कानाराम के कायममुकाम-
35.1. भोमाराम पुत्र अचलाराम

20.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

35.2. मांगीलाल पुत्र अचलाराम
36. कोजाराम पुत्र मूलाराम
37. किशनाराम पुत्र मूलाराम
38. फुसाराम पुत्र मूलाराम
39. हडमानराम पुत्र मूलाराम
40. सिणगारी पत्नी मूलाराम
41. पुरखाराम पुत्र बिडदाराम के कायममुकाम-
41.1. लालाराम पुत्र पुरखाराम
41.2. देवाराम पुत्र पुरखाराम
41.3. मोहनराम पुत्र पुरखाराम
41.4. अणची पुत्री पुरखाराम
41.5. जमना पुत्री पुरखाराम
41.6. पेपी पुत्री पुरखाराम
41.7. रामी पुत्री पुरखाराम
41.8. बरजू पुत्री पुरखाराम
42. राणाराम पुत्र बिडदाराम के कायममुकाम-
42.1. बाबुराम पुत्र राणाराम
42.2. गोरखाराम पुत्र राणाराम के कायममुकाम-
42.2.1. प्रतापाराम पुत्र गोरखाराम
42.2.2. जालाराम पुत्र गोरखाराम
42.2.3. हिराराम पुत्र गोरखाराम
42.2.4. समु पुत्री गोरखाराम
42.2.5. हेमी पुत्री गोरखाराम
43. जेठाराम पुत्र बिडदाराम के कायममुकाम-
43.1. हडमानाराम पुत्र जेठाराम के कायममकाम-
43.1.1. अचलाराम पुत्र हडमानाराम
43.1.2. मांगीलाल पुत्र हडमानाराम
43.1.3. अमृतलाल पुत्र हडमानाराम
43.1.4. चम्पा देवी पत्नी हडमानाराम
43.1.5. सीता पुत्री हडमानाराम
43.1.6. शोभा पुत्री हडमानाराम
सभी जाति जाट, निवासीगण ग्राम मतोडा
तहसील बापिणी, जिला जोधपुर
44. राजस्थान सरकार
जरिये तहसीलदार बापिणी
जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं फाइनल डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां (वर्तमान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड

20/11/23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिकारी लोहावट) दिनांक 11 नवम्बर 2022
राजस्व वाद संख्या 233/2013 गोरखाराम व अन्य
बनाम जसाराम इत्यादि
------- 0 -------

उपस्थित-

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री रुघाराम चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 व 2.2
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 44

नि र्ण य

दिनांक : 20 नवम्बर, 2023

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ (वर्तमान में क्षेत्राधिकार सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लोहावट) द्वारा राजस्व वाद संख्या 233/2013 गोरखाराम व अन्य बनाम जसाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24 जून 2019 के खिलाफ अपील संख्या 2022-205 (जीसीएमएस 2022-532) एवं निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 11 नवम्बर 2022 के खिलाफ अपील संख्या 2022-207 (जीसीएमएस 2022-559) अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक कमशः 14 दिसम्बर 2022 व 16 दिसम्बर 2022 को प्रस्तुत की है। अपील संख्या 2022-205 (जीसीएमएस 2022-532) के साथ प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया।

इन दोनों अपीलों से संबंधित मूल वाद, वादग्रस्त आराजियात, पक्षकारान इत्यादि एकसमान होने से उभयपक्षकारान की सहमति से इन दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ इस एक ही निर्णय के जरिये किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक संबंधित अपील पत्रावली में संलग्न रखी जावे।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 4 की ओर से आराजी खसरा संख्या 46

20.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रकबा 8 बीघा 08 बिस्वा, खसरा संख्या 49 रकबा 26 बीघा 06 बिस्वा, खसरा संख्या 60 रकबा 6 बीघा 05 बिस्वा कुल खसरा तीन रकबा 40 बीघा 19 बिस्वा वाके मौजा मतौडा तहसील ओसियां (वर्तमान तहसील बापिणी) जिला जोधपुर के संबंध में एक दावा बाबत खातेदारी घोषणा, रिकार्ड दुरुस्ती, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वाद स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी दिनांक 24 जून 2019 को जारी कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये और विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 11 नवम्बर 2022 पारित किये गये। जिनके खिलाफ अपीलाण्ट की ओर से आलौच्य अपीलें प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अपील संख्या 2022-205 (जीसीएमएस 2022-532) के साथ प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट पर विधिवत तामील के बिना एवं सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिकी पारित कर दिये गये। पटवारी को साथ लेकर मौके पर आकर रेस्पो. द्वारा अपीलाण्ट को बेदखल करने की धमकी दिये जाने और सडक वाले हिस्से पर बंटवारा करवा लिया जाना जाहिर करने पर अपीलाण्ट द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी की नकल हेतु आवेदन किया गया, जो दिनांक 14 अक्तूबर 2022 को प्राप्त होने की सूचना अपीलाण्ट के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 16 अक्तूबर 2022 को दी गयी और दिनांक 18 अक्तूबर 2022 को अपीलाण्ट लोहावट गया और अपने अधिवक्ता से मिलने पर समुचित जानकारी हुई, तत्पश्चात आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कर दिनांक 12 दिसम्बर 2022 को जोधपुर आकर अधिवक्ता के जरिये आलौच्य अपील पेश की गयी। इस प्रकार अपीलाण्ट द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी की जानकारी की दिनांक से आलौच्य अपील निर्धारित समय सीमा के भीतर अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी जो अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर निर्णित की जावे।

20.11.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील संख्या 2022-205 (जीसीएमएस 2022-532) के संबंध में गुणावगुण पर बहस करते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट पर सम्मन की विधिवत समुचित एवं सम्यक तामील कराये बिना एवं अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिये गये जो न्यायोचित नहीं है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से चार द्वारा अपने वाद को समुचित साक्ष्य सबूत के आधार पर साबित नहीं किया गया है। अपीलाण्ट एवं वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से चार के मध्य वादग्रस्त आराजी के बंटवारे एवं हिस्सो के लेकर विवाद है, अतः अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री खारिज किये जाने योग्य है।

अपील संख्या 2022-207 (जीसीएमएस 2022-559) के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट पर समुचित एवं सम्यक तामील के बिना एवं उसे सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही मामले में प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव तलब किया जाना न्यायसंगत नहीं है। विभाजन प्रस्ताव भी संबंधित तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार नहीं किये गये अपितु हळका पटवारी द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1970 के नियम 18 से 21 को नजरअंदाज करते हुए एवं मौके पर गये बिना ही तैयार किये गये है। बंटवारा प्रस्ताव के अनुसरण में रेस्पो. संख्या एक द्वारा सडक के हिस्से की कीमती भूमि को अपने पक्ष में रख लिया गया और अपीलाण्ट को सडक से दूर हिस्सा दिया गया है जो बाजार मूल्य के अनुसार नहीं है और नियमानुसार भी नहीं है।

अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने लिखित बहस प्रस्तुत कर जाहिर किया कि वक्त सेटलमेण्ट वादग्रस्त आराजियात में 1/7 हिस्सा मूला मघा पिसरान खुमा, 1/7 हिस्सा पुना पुत्र किस्तुरा, 1/7 हिस्सा मंगला पुरखा पिसरान अणदा, 1/7 हिस्सा हिम्मता पूनमा पिसरान जवाना, 1/7 हिस्सा जेठा

20.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मंगला अचला पिसरान लाला, 1/7 हिस्सा पुरखा राणा जेठा पिसरान बिडदा तथा बकाया 1/7 हिस्सा नेहरा उमा मूल पिसरान चेना का राजस्व रिकार्ड में दर्ज था जो संवत 2014 से 2049 तक की संबंधित जमाबंदियों में दर्ज होता रहा किन्तु उसके बाद राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा रेस्पो. संख्या 1 से 4 के पूर्वजों का नाम राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजियात बाबत किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना ही विलोपित कर दिया और हिस्सा 1/7 की बजाय 1/6 कर दिया। जिसकी दुरुस्ती एवं अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से चार द्वारा विचारण न्यायालय में दावा पेश किया गया, जो विचारण न्यायालय द्वारा संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, मगर बावजूद तामील प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर नियमानुसार उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी एवं वादी-पक्ष की साक्ष्य सुनवाई के बाद दिनांक 24 जून 2019 को दावा स्वीकार करते हुए वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से चार को वादग्रस्त आराजियात के 1/7 हिस्से बा खातेदार काश्तकार घोषित किया गया और प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। अधिवक्ता-रेस्पो. ने जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजियात में चोखाराम पुत्र तुलछाराम के बंट में 1/168 हिस्सा आता है, वर्ष 2005 में खातेदार काश्तकार चौखाराम पुत्र तुलछाराम के स्थान पर अपीलाण्ट कानसिंह पुत्र अर्जुनसिंह का राजस्व रिकार्ड में नाम राजस्व रिकार्ड में किसी आधार पर दर्ज किया गया, इस बाबत अपीलाण्ट ने कोई खुलासा नहीं किया है। वादग्रस्त आराजियात में हिस्से बाबत स्वयं चौखाराम पुत्र तुलछाराम द्वारा कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में इस संबंध में किसी अन्य को कोई एतराज प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार नहीं है। अधिवक्ता-रेस्पो. ने यह भी कथन किया कि चौखाराम का हिस्सा स्वयं चौखाराम को मिले अथवा अपीलाण्ट कानसिंह को प्राप्त हो, इससे विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पडता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के अनुसरण में संबंधित

20-11-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तहसीलदार द्वारा मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये एवं पक्षकारान के हिस्से में दी गयी भूमियों तक आवागमन के लिए रास्ते का भी प्रावधान रखा है जिसके अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं फइनल डिकी दिनांक 11 नवम्बर 2022 न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किये गये है। अपीलाण्ट ने गलत आधारों पर आलौच्य अपीलें पेश की है, विचारण न्यायालय के समक्ष यदि अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नहीं मिला तो आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश करने का विधिक उपचार अपीलाण्ट को उपलब्ध था, मगर अपीलाण्ट द्वारा उक्त प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में तामील के संबंध में अपीलाण्ट अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपीलों के जरिये कोई आक्षेप नहीं उठा सकता है। खातेदार चौखाराम पुत्र तुलछाराम का वादग्रस्त आराजियात में निहित 1/7 हिस्सा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी के जरिये अपीलाण्ट को दिया गया है। स्वयं अपीलाण्ट द्वारा बंटवारा बाबत दिनांक 18 सितम्बर 2017 को प्रस्तुत वाद संख्या 375/2017 दिनांक 28 सितम्बर 2022 को खारिज हो चुका है। जिसमें आगे अपीलाण्ट द्वारा कोई चाराजोई नहीं की गयी है। अपीलाण्ट को वादग्रस्त आराजियात में अपना हक-हिस्सा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी के जरिये प्राप्त हो चुका है। अतः प्रस्तुत दोनों अपीलें आधारहीन एवं सारहीन होने से तदुनसार खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय में मूल वाद संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये जाने का निर्देश देते हुए आगामी पेशी 11 फरवरी 2013 मुकर्रर की गयी। इसके बाद दिनांक 11 फरवरी 2013 व 29 अप्रेल 2013 की आदेशिकाओं के अनुसार पीठासीन अधिकारी की अनुपलब्धता के कारण पेशी इल्तवा की जाकर आइन्दा पेशी दिनांक 10 जून 2013 निर्धारित की गयी और दिनांक 10 जून 2013 की आदेशिका में "... प्रतिवादीगण के सम्मन तामीलशुदा प्राप्त। प्रतिवादीगण गैरहाजिर, इनके

20.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी प्रतिवादी संख्या 41 दिनांक 5/8/13 को पेश हों" लिखा गया है। इस परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय की पत्रावली में अन्य प्रतिवादीगण के सम्मनों सहित अपीलाण्ट-प्रतिवादी संख्या 40 के उपलब्ध कथित तामीलशुदा सम्मन का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि दिनांक 06 दिसम्बर 2012 को जारी किये गये इन सम्मनों में तारीख पेशी 11 फरवरी 2013 दर्ज है जिस पर बाद में घेरा कर 29/4/13 लिखा गया है। सम्मन की पुश्त पर तामीलकुनिन्दा द्वारा "आसामी के पुत्र से तामील करा कर पेश है" रिपोर्ट अंकित है। किन्तु पुत्र के बालिग अथवा नाबालिग होने का कोई उल्लेख नहीं है, किसी मौअजिज व्यक्ति जिसने पहचान की हो, के हस्ताक्षर या अंगुष्ठ निशान भी नहीं है और संबंधित तहसीलदार द्वारा तस्दीक भी नहीं की हुई है और सम्मन किस दिनांक को तामील कराया गया, इस बाबत भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। जाहिर है कि सम्मन की तामील सीपीसी के प्रावधानानुसार सम्यक एवं समुचित तामील नहीं मानी जा सकती है। इन परिस्थितियों में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम मय शपथपत्र में वर्णित तथ्यों एवं अधिवक्ता-अपीलाण्ट द्वारा इस संबंध में की गयी बहस पर विश्वास करते हुए उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियादशुमार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अपीलाण्ट के द्वारा आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश करने का विधिक उपचार का उपयोग नहीं किये जाने के कारण अधिवक्ता-रेस्पो. द्वारा जो आक्षेप आलौच्य अपील बाबत उठाया गया है, वह अदालत हाजा की विनम्र राय में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है क्योंकि उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक विकल्प का उपयोग नहीं किये जाने के कारण अन्य विकल्पों बाबत पाबन्दी लगाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

जहाँ तक मामले के गुणावगुण का प्रश्न है, वादी-पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 से 6 के अनुसार संवत 2014 से 2039 की

20.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जमाबंदियों में वादग्रस्त आराजियात के 1/7 हिस्से बाबत वादीगण के पिता का नाम बतौर खातेदार दर्ज होने एवं उसके बाद बिना किसी कारण एवं आधार के राजस्व रिकार्ड में से वादीगण के पिता का नाम विलोपित किये जाने के तथ्य को लोक दस्तावेजात के आधार पर सिद्ध मानते हुए विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 24 जून 2019 को वादीगण का दावा स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी जारी की गयी है। वक्त सेटलमेण्ट से संवत 2036-2039 तक राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजियात के 1/7 हिस्से बाबत **खुमा** के वारिसान, 1/7 हिस्से बाबत **किस्तुरा** के वारिसान, 1/7 हिस्से बाबत **अणदा** के वारिसान, 1/7 हिस्से बाबत **जवाना** के वारिसान, 1/7 हिस्से बाबत **जेठा** के वारिसान, 1/7 हिस्से बाबत **बिडदा** के वारिसान एवं बकाया 1/7 हिस्से बाबत **चैना** के वारिसान बतौर खातेदार दर्ज है। वादीगण जवाना के पुत्रगण हिम्मता व पूनमा के वारिसान है। संवत 2041-2044 व उसके बाद की जमाबंदियों में वादग्रस्त आराजियात बाबत बिडदा के पुत्रगण हिम्मता व पूनमा अथवा उनके वारिसान का नाम दर्ज नहीं हुआ और चैना के वारिसान नेहरा/केहरा, उमा व मूला के संयुक्त 1/7 हिस्से की बजाय चिमा पुत्र नेहरा/केहरा 1/7 हिस्सा व मूला पुत्र चैना 1/7 हिस्सा दर्ज किया हुआ है। राजस्व रिकार्ड में खातेदारान के हिस्सों में कमी-बेशी बाबत कोई स्पष्ट आधार भी प्रकट नहीं होना एवं प्रतिवादीगण की ओर से दावे का कोई खण्डन नहीं किया जाना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य मामले में वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से चार का दावा स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिकी के जरिये विभाजन प्रस्ताव तलब किये एवं विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद फाइनल डिकी पारित की गयी है। किन्तु अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिकी के जरिये वादीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 4 को वादग्रस्त आराजियात बाबत 1/7 हिस्से का सहखातेदारान घोषित करते समय तत्कालीन राजस्व रिकार्ड में अन्य सहखातेदारान के हिस्सों बाबत स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है कि वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से चार के पक्ष में 1/7 हिस्से बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा के परिणामस्वरूप अन्य सहखातेदारान में किसके हिस्से पर क्या प्रभाव पडेगा। इतना ही नहीं,

20.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिकी पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का समुचित एवं तथ्यात्मक विवेचन किये बिना ही अत्याधिक संक्षिप्त एवं सरसरी तौर पर पारित किये गये है। इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा पारति अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 24 जून 2019 विधिसम्मतः एवं स्पीकिंग ज्युडिशियल ऑर्डर की श्रेणी में रखे जाने योग्य नहीं होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं पाये जाते है।

उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजियात बाबत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी (प्रदर्श 12) में म्युटेशन संख्या 990 बेचान 20/09/2010 के संदर्भ से चौखाराम पि. तुलछाराम (जो कि कॉलम संख्या 4 में जसाराम पि. सुखाराम, करनाराम पि. मूल, खेताराम नारायणराम बिदाराम चौखाराम पिसरान तुलछाराम संयुक्त रूप से वादग्रस्त आराजियात के ⅙ हिस्से बाबत खातेदार दर्ज है) के स्थान पर कानसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति राजपूत साकिन नारवा का नाम दर्ज किया जाना प्रकट होता है। विचारण न्यायालय के समक्ष वाद की कार्यवाही में सम्मनों की समुचित एवं सम्यक तामील के अभाव में अपीलाण्ट कों अपने हक-हिस्से के संबंध में कोई खुलासा करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ है।

अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिकी 11 नवम्बर 2022 के संदर्भ में विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने पर विदित होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 24 जून 2019 में पक्षकारान को पूर्व सूचित करते हुए संबंधित तहसीलदार स्वयं द्वारा मौके पर जाकर तैयार नहीं किये गये है, अपितु यह विभाजन प्रस्ताव पटवारी हळका द्वारा बनाये गये है। जाहिर है कि आलौच्य मामले में अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिकी 11 नवम्बर 2022 पारित किये जाने के पूर्व राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित नहीं की गयी है। अतः अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिकी 11 नवम्बर 2022 विधिसम्मतः नहीं पाये जाते है।

20.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आलौच्य दोनों अपीलें आंशिक स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24 जून 2019 तथा निर्णय एवं फाइनल डिक्री 11 नवम्बर 2022 अपास्त किये जाते है और प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को विधिवत सूचना दी जाकर नये सिरे से अपना-अपना पक्ष एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जावे और निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुसार दावे एवं जबाब आदि के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम की जावे और पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत का समुचित विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए तनकीवार निष्कर्ष अंकित कर मूल वाद का संबंधित विधिक प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करते हुए विधिसम्मतः निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। 20.11.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर